

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-70/2020

अरूण नायक ..... याचिकाकर्ता  
बनाम्  
झारखण्ड राज्य ..... विपक्षी पक्ष

**कोरम :** माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राम चन्द्र प्रसाद साह, अधिवक्ता ।

राज्य के लिए: ए०पी०पी० ।

2/14.01.2020 पक्षों को सुना ।

याचिकाकर्ता, गमहरिया थाना काण्ड संख्या 72/2019, जी०आर० संख्या 641/2019 के संबंध में एक आरोपी है ।

यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और एक संजीत नायक उर्फ संजु नायक ने सूचक के साथ बलात्कार किया ।

यद्यपि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षों के बीच चल रहे बंटवारा वाद के कारण याचिकाकर्ता को फंसाया गया है परन्तु प्राथमिकी के तथ्यों और अपराध की प्रकृति के आलोक में, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने हेतु इच्छुक नहीं हूँ। तदनुसार, उसके जमानत के आवेदन को खारिज किया जाता है ।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)